2018/00345

## न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 5/2018 (बांसवाड़ा डिक्री)**

1. नाथूलाल पिता स्वर्गीय वेस्ता जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. काउडा पिता स्वर्गीय वेस्ता जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. नानुडा पिता स्वर्गीय वेस्ता जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. नारायण पिता स्वर्गीय वेस्ता जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

................ अपीलान्टगण

**बनाम**

1. रकमा पिता स्वर्गीय भेम जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. रामा पिता स्वर्गीय भेम जी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, पटवार हल्का खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 03.11.2017, प्र.सं. 44/2016

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री शकील मुहम्मद अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

---::---

**निर्णय** **दिनांक 04–04–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त स्वामित्व, अधिपत्य एवं खातेदारी की आराजी नंबर 5, 6, 15 से 17, 38 से 41, [illegible] 55 से 62, 64 से 79, 93, 94, 259 कुल कित[illegible] ग्राम चीब में स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

1/2 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा पक्षकारान अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03–11–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जानकारी दिनांक 23–01–2018 को हुई एवं नकल दिनांक 29–01–2018 को प्राप्त होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रकरण प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत था, किन्तु एकाएक आदेशिका दिनांक 03–11–2017 को उभयपक्ष की उपस्थिति बताकर वाद में निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण को बिना सुने एकपक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण की न तो साक्ष्य लेखबद्ध की गयी एवं न ही दस्तावेज प्रदर्श किये गये। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव में वाद निरस्त योग्य था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध [illegible] कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री [illegible] होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रखण्ड अधिकारी
एवं सदस्य राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिकी को साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 5, 6, 15 से 17, 38 से 41, 45 से 51, 55 से 62, 64 से 79, 93, 94, 259 कुल किता 44 रकबा 76 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 03–11–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 04–04–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

नाथूलाल पिता स्व. वेस्वा, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, प0 ह0 खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य

बनाम

रकमा पिता स्व. भेमजी, जाति भील, निवासी ग्राम चीब, प. ह. खेरडाबरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....5/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....बासवाड़ा ..... मुकाम.....मुवर्खे.....03.....माह.....11.....2017

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....04....माह.....04.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री शकील मुहम्मद.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री पैरोकार सरकार .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–11–2017 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....04....माह.....04.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:37:14 IST
Reason: SelfAttested